न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्या :– 11/14 (223 आरटीए)
आरसीएमएस संख्या :–2014/00017

उनवान

अशोक कुमार पुत्र आनन्दराम कटारा जाति ब्राहम्ण निवासी रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. विशन
2. तेज सिंह
3. सुम्मेरा

पिसरान सूरज जाति काछी निवासी कस्बा रूपवास जिला भरतपुर।

4. शकुन्तला
5. राजनदेई
6. चन्द्रवती

पुत्री सूरज जाति काछी निवासी कस्बा रूपवास तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

7. कम्पूरी वेवा सूरज
8. सुमेर सिंह पुत्र मौहर सिंह
9. रिकेश उम्र 10 साल
10. सोनू उम्र 5 साल
11. ध्रुव उम्र 3 साल

पिस0 मौहर सिंह कायम मुकाम प्रति0 सुनीता नाबालिगान जरिये प्राकृतिक संरक्षक सुम्मेर सिंह रैस्पो0 संख्या 08 पिता खुद सभी जाति काछी निवासी काछी मौहल्ला कस्बा रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट ।

अपील अन्तर्गत धारा 223 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास दिनांक 03.06.14 प्र.सं 55/13 उनवानी अशोक कुमार बनाम विशन।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री दुलीचन्द शर्मा व हेमराज शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री महाराज सिंह उपस्थित

निर्णय दिनांक–27.03.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय दिनांक 03.06.2014 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के संक्षेप में तथ्य

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 पेश करते हुये स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। प्रकरण प्रतिवादीगण की तलवी हेतु नियत था। तारीख पेशी दिनांक 27.06.2013 को जब सम्मन लौटकर आये तो ज्ञात हुआ कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 06 सुनीता की मृत्यु हो चुकी है। चूंकि सुनीता की शादी हो चुकी है और वह सूरौठ में निवास कर रही थी एवं वादी व प्रतिवादी पृथक समाज के हैं। अतः उन्हें सुनीता की मृत्यु की जानकारी नहीं थी। अतः उसके विधिक प्रतिनिधियो को पक्षकार मुकदमा जोडने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 व आदेश 01 नियम 10 व आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यो को दौहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि एक प्रतिवादी की मृत्यु हो जाने से सम्पूर्ण दावा खारिज नहीं किया जा सकता है। यह है कि जैसे ही सम्मन लौटकर आये एवं वादी अपीलाण्ट को मृत्यु की सूचना मिली। इसके तुरन्त बाद उसके वारिसान की जॉच कर मृतक का नाम हटाते हुये उसके स्थान पर दावा में उसके वारिसान को दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था। उस स्थिति में तहत न्यायालय को दावा खारिज करने के बजाय मृतक सुनीता का नाम दावा से हटाते हुये, उसके वारिसो को पक्षकार मुकदमा जोडना चाहिये था। इस प्रकार दावा खारिज करने का कोई अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं था। प्रार्थना पत्र धारा 153 जा0दी0 के तहत था जिसे स्वीकार करने के अलावा न्यायालय के समक्ष अन्य कोई विकल्प नहीं था। अतः निर्णय अवैधनिक है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि अनुरूप सही है। प्रार्थना पत्र 22 नियम 4 में दिया है, आदेश 01 नियम 10 सीपीसी में नहीं है। दावा में मृतक द्वारा धमकी देना अंकित है। मृतक व्यक्ति किस प्रकार धमकी दे सकता है। सुनीता की मृत्यु दावा से पूर्व ही हो गयी तो उसके खिलाफ वादकरण कैसे पैदा हो सकता है। इससे अपीलाण्ट के सारे कथन झूठे साबित होते हैं। जोइन्ट दावा है अतः सभी प्रतिवादीगणो के खिलाफ खारिज होगा। मरे हुये व्यक्ति के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करना शून्य की श्रेणी में आता है। आदेश 22 नियम 4 दावा में प्रतिवादी के मरने पर लगाया जाता है। जबकि हस्तगत प्रकरण में दावा ही मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि वादी अपीलाण्ट ने दावा स्पष्ट रूप से मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत किया है एवं वाद पत्र में मृतक के विरूद्ध धमकी दिया जाना भी अंकित किया है। मृतक व्यक्ति कि विरूद्ध वादकरण पैदा नहीं हो सकता। अतः इससे प्रथम दृष्टया वादी अपीलाण्ट के कथन असत्य साबित होते हैं। विधिअनुसार मृतक व्यक्ति के विरूद्ध दावा शून्य होता है। इसके अलावा वादी अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में मृतक के वारिसो को रिकार्ड पर लेने हेतु भी प्रार्थना पत्र में गलत प्रावधानो का उल्लेख किया है। अपनी स्वयं की गलती से अनुतोष प्राप्त करने की पात्रता क्षीण होती है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय दिनांक 03.06.2014 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर